एफ़.संख्या.11015/3/2016-न्याय-II

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड,

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 अप्रैल, 2016

सेवा में

श्री शिव कुमार,
146, सेक्टर 39,
अर्बन एस्टेट,
लुधियाना, पंजाब।

विषय: वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को निपटाने के लिए न्यायालय की स्थापना।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर प्रधान मंत्री को संबोधित आपके दिनांक 30 दिसंबर, 2015 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि 7 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया था कि राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से महिलाओं, बच्चों, विकलांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रति अपराधों से जुड़े मामलों के लिए पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी और उन्हें स्थापित करने और जारी रखने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करेंगी। सरकार ने राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से इस निर्णय को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।

14वें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगजन, और एचआईवी एड्स तथा अन्य घातक व्याधियों से पीड़ित वादियों और पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित सिविल विवादों जिनमें भूमि अधिग्रहण और सम्पत्ति / किराया विवाद शामिल हैं, के समाधान के लिए 4144 करोड़ रुपए की लागत से पाँच वर्ष की अवधि के लिए 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना शामिल है। 14 वें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर हस्तानान्तरण में आयोग द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त वित्तीय छूट का प्रयोग करें।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह

(राजेन्द्र सिंह सिद्धू) 5/4/2016

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23072137

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

1. प्रधान मंत्री कार्यालय (श्री समीर कुमार, अनुभाग अधिकारी) को दिनांक 31-12-2015 के आईडी संख्या पीएमओपीजी/डी/2015/0307832 के संदर्भ में।
2. अवर सचिव (प्रशासन-II) को इस अनुरोध के साथ कि इसे न्याय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

6/4

Ms. Deepa